T 5/7

नकल आदेश / यथाप्रस्तावित स्वीकृत दिनांक 27/5/09, व अवाम मु०न० 29, के अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०, ~~[illegible]~~ रामनारायण ब्राह्मण गाँव पंचायत, ग्राम बीरीसहिजन, पर० अलदेमऊ, तह० कादीपुर, जिला सुलतानपुर न्यायालय SDO(K) तारीख फै० 27/5/09 सी०क्रमांक 443

अभिलेखागार राजस्व कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर कलेक्ट्रेट सुलतानपुर

नकल आदेश दिनांक 27/5/09 की छायाप्रति साथ में संलग्न है

प्रार्थी ईशनारायण उपाध्याय पुत्र रामप्रताप उपाध्याय प्रबन्धक नवयुग महाविद्यालय रतनपुर बारी साहिजन परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० आदि० की मौके पर जाँच किया। संलग्न खतौनी के संदर्भित गाटे 889क/1-120, 1034/0-051, 1037/0-051, 1039/0-051, 1046/0-051, 1047/0-051, 1035/0-082, 1036/0-096, 1043/0-041, 1044/0-045, 1045/0-051, 1048/0-063, 1057/0-117, 1058/0-073, 1059/0-023, 887च/0-028, 920क/0-010, 879/0-031, 1077ख/0-038, 883/0-[illegible], 1085/0-035, 1086/0-076, 1028ड/0-126, 889झ/0-063, 1025/0-379, 869/0-076, 871/0-038, 872/0-038, 873/0-039, 875/0-013, 877/0-155, 878/0-120, 887घ/0-139, 889म/0-139, 1028ज/0-253, 1026/0-354, 1051च/0-145, 889स/0-136, 857/0-057, 859/0-038, 865/0-013, 868/0-013, 876/0-013, 880/0-019, 882/0-066, 883/0-057, 889घ/0-063, 889छ/0-126, 889य/0-149, 889प/0-126, 889ब/0-126, 889ह/0-126, 1051ग/0-051, 889र/0-063, 889ल/0-063 वर्तमान खतौनी ग्राम बारी साहिजन में ईशनारायण प्रबन्धक नवयुग महाविद्यालय के नाम संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में अंकित है। उपरोक्त गाटों में या तो उक्त महाविद्यालय का भवन निर्मित है कहीं बी०एड० संकाय व बी०पी०एड० संकाय संचालित है तथा अन्य आराजी खेल के मैदान के रूप में प्रयुक्त होती आ रही है। मौके पर संदर्भित आराजियात जोती बोई नहीं जाती है।

अतः उपरोक्त आराजी अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है।

लेखपाल
बारी साहिजन
9-5-09

मुलेखप

प्रार्थी ईशनारायण उपाध्याय पुत्र राम प्रताप उपाध्याय प्रबन्धक नवयुग महाविद्यालय रतन पुर बारी साहिजन परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० अधि० की मौके पर जाँच किया गया संलग्न खतौनी के संदर्भित गाटे वर्तमान खतौनी के ग्राम बारी साहिजन में ईशनारायण प्रबन्धक नवयुग महाविद्यालय के नाम संक्रमणीय भूमिधर की श्रेणी में अंकित है उक्त भूखण्डों में या तो कहीं भवन बने हैं कहीं बी०एड० संकाय व बी०पी०एड० संकाय संचालित है खेल के मैदान के रूप में शेष आराजी प्रयुक्त होती है संदर्भित भूमि मौके पर जोती बोई नहीं जाती है।

अतः उपरोक्त संदर्भित भूमि अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आख्या स्वाक्षरी सहित सेवा में सादर प्रेषित है।

राजस्व निरीक्षक
11-5-09

रा० नि० की जाँच आख्या सेवा में प्रेषित।

जोत चकबन्दी - (आराजी)
2 हे० 100

प्रस्तावित
स्वीकृत

रजि०स०का०

(कार्यालय जिलाधिकारी सुलतानपुर)